तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/07/22	पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की सम्वत 2079 वाके ग्राम पाखर–1 भूमि ख0न0 1079 रकबा 0.40 पर गैर सायलान सियाराम, गोपाल पुत्र रामचरण जाति सैनी निवासी पाखर–1 द्वारा जोत कर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल उपस्थित हुआ। हमने पत्रावली का अवलोकन किया और इस नतीजे पर पहुँचे कि प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतः गैर सायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है। भू–राजस्व लगान दर 17.60 का 50 गुणा 880 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है। बेदखल हेतु आई.एल.आर./पटवारी हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी टी.आर.ए. करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नायब तहसीलदार तहसील मण्डावर, (दौसा) रा0 ले0 स0 4 वर्ष 2022-23 की पृ0 सं0 57 पर 880 रु॰ मांग कायम की गई। तहसील राजस्व लेखाकार	